

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017

इ/मिगरानी/विदिशा/भू.रु/2017/3393

- 1 राजेन्द्र शंकर पुत्र श्री योगेन्द्र शंकर शर्मा
आयु- 55 वर्ष निवासी- ग्राम झालावाड़
तहसील व जिला झालावाड़ (म0प्र0)
- 2 योगेन्द्र शंकर पुत्र श्री कीर्ति शंकर आयु- 74
वर्ष निवासी- निवासी- ग्राम झालावाड़
तहसील व जिला झालावाड़ (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

हमीरा पुत्र श्री बुद्धा जाति- अहिरवार
निवासी- कुण्डलपुर जिला- मोतीपुर तहसील
लटेरी जिला- विदिशा (म0प्र0)

..... प्रत्यर्थी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959
के अंतर्गत सीमांकन प्रकरण क्रमांक 61/अ-12/16-17 में राजस्व
निरीक्षक वृत्त-एक लटेरी द्वारा आदेश दिनांक 14.8.2017 प्रदर्श
पी-1) के विरुद्ध।

माननीय महोदय,


आवेदक की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, आवेदक के हक एवं सत्त्व की कृषि भूमि जिसका रकवा ग्राम मोतीपुरा प.ह.न. 10 तहसील लटेरी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 515/2/2 रकवा 0.520 हेक्टेयर एवं 516/1 रकवा 1.069 हेक्टेयर पुलांकित 2 कुल रकवा 1.589 हेक्टेयर दिनांक 24.12.2012 को प्रतिवादी क्रमांक 1 से खरीदी थी एवं उस दिनांक से ही वह उक्त भूमि पर कब्जे में चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी उसकी फसल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3393

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	